POLITICAL SCIENCE Dep.
B.A. 2 (Hons). Paper 4

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur,
Samastipur

संघात्मक व्यवस्था

संघात्मक व्यवस्था शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन दृष्टिकोण है। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द 'फोएडस' से निकला है जिसका अर्थ है संधि या समझौता। अतः समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जाता है। संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है।

गार्नर के अनुसार "संघात्मक सरकार वह पद्धति है जिसमें समस्त शासकीय शक्ति एक केंद्रीय सरकार तथा उन विभिन्न राज्यों अथवा क्षेत्रीय उपविभागों की सरकार के बीच विभाजित रहती है जिनको मिलाकर संघ बनता है।"

संघात्मक सरकार की विशेषताएँ –

① शक्तियों का विभाजन :–

संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है।

Scanned with CamScanner

② संविधान की सर्वोच्चता -

संघात्मक व्यवस्था में समझौता संविधान में निहित होता है और संविधान में ही इस समझौते को संशोधित करने की विधि का भी उल्लेख होता है। संविधान सर्वोच्च होता है तथा सरकार के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते।

③ न्यायपालिका की सर्वोच्चता -

संघात्मक व्यवस्था के तहत एक सर्वोच्च न्यायपालिका होती है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। केंद्र एवं प्रांतों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस विवाद को हल करता है।

④ लिखित संविधान -

संघ-शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होता है। संघ एवं इकाईयों की शक्तियों का उसमें उल्लेख होता है।

⑤ संघ का निर्माण -

संघात्मक व्यवस्था में संघ एवं इकाईयां मिलकर संघ का निर्माण करती हैं। संघ विभिन्न इकाईयों के साथ मिलकर ऐक्य स्थापित करता है। संघ का निर्माण केंद्र एवं राज्यों द्वारा आपसी समझौते से किया जाता है।

Dr. Husna Afza
Asst. Professor

Scanned with CamScanner